समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याः–एन0जी0टी0–231 / नौ–5–2024–32बजट / 2020

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

रजिस्ट्रार
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 27 अगस्त, 2024**

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित Execution Application No.24/2023 (I.A. No-277/2024) in ओ0ए0 संख्या–44 / 2022 Saket Girls P.G. College vs. State of U.P में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित Execution Application No.24/2023 (I.A. No-277/2024) in ओ0ए0 संख्या–44 / 2022 Saket Girls P.G. College vs. State of U.P में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 **(संलग्नक–1)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रकरण में दिनांक 28.08.2024 को अगली सुनवाई की तिथि नियत है।**

2– उक्त के संबंध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा, जनपद–प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 24.08.2024 **(संलग्नक–2)** के माध्यम से अवगत कराया गया है प्रश्नगत कार्य नगर पालिका परिषद, बेल्हा, जनपद–प्रतापगढ़ द्वारा वर्तमान में 920 मीटर नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस नाले के समाप्त बिन्दु से वेटलैण्ड जिसकी क्षमता 2.5 एम0एल0डी0 है, स्थित है, जो कि वर्तमान समय में ट्रायल एवं रन की स्थिति में है। नाले के समाप्त बिन्दु से इसकी दूरी लगभग 368 मीटर है।

3– अवगत कराना है कि उक्त शेष 368 मीटर के नालें का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत रू0 169.84 लाख का आगणन तैयार कर उपलब्ध कराया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024–25 की कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए अनुमोदित कर दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
27.08.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

HGT-231/नो०-ज०-२०२४

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित Execution Application No. 24/2023 (I.A.No-277/2024) in ओ0ए0 संख्या–44/2022 Saket Girls P.G. College Applicant Vs. State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 01–7–2024 के अनुपालन आख्या

अवगत कराना है कि नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में संस्थित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या–44/2022 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के समादर में नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ द्वारा साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज से मुख्य मार्ग पर ट्रान्सफर्मर से साकेत डिग्री कालेज होते हुए मुख्य मार्ग पर प्रिमियम पैलेस के सामने तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य एवं गायघाट रोड़ पर प्लाजा पैलेस के सामने से नई बस्ती जानकीपुरम तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य निविदा एवं अनुबन्ध आदि की कार्यवाही करनें के उपरान्त जून, 2024 में ही आरम्भ किया जा चुका है। पूर्व में यह अनुमान था कि उपरोक्त कार्य अगस्त, 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा, जिसकी सूचना मा0 न्यायाधिकरण को प्रेषित की गयी थी, परन्तु इसी मध्य नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ में नियुक्त अधिशासी अधिकारी श्री राम अचल कुरील को शासन द्वारा **दिनांक 29 जून, 2024 (संलग्नक–1)** को निलम्बित कर दिया गया, जिससे निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं व्यवधान के कारण पूर्व अनुमानित समय के अन्दर कार्य पूर्ण नही हो सका। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के निलम्बन के उपरान्त दिनांक 19 जुलाई, 2024 **(संलग्नक–2)** को अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। अधोहस्ताक्षरी नें नगरपालिका के निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान यह पाया कि प्रश्नगत् नाले का निर्माण बाधित है, जबकि यह कार्य मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों से आच्छादित है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित ठेकेदार से वार्ता की गयी तो उसके द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि कार्य स्थल पर भूमि नीचे होने के कारण एवं वर्षा होने से जल भराव हो रहा है, इसलिए कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ **संलग्न–3 है**। फर्म द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कार्य को गति प्रदान करनें का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी ने सम्बन्धित फर्म को कार्य में गति लाने हेतु निर्देशित किया। इसके उपरान्त प्रश्नगत् कार्य 920 मीटर में से 276 मीटर नाले का निर्माण जो कि सम्पूर्ण कार्य का लगभग 30 प्रतिशत है, पूर्ण हो चुका है, सुलभ सन्दर्भ हेतु स्थल का जी0पी0एस0 टैग फोटोग्राफ एवं वर्क कम्प्लीटीशन सर्टिफिकेट प्रमाण–पत्र की प्रति अवलोकनार्थ **संलग्न–4** है।

यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ द्वारा वर्तमान में 920 मीटर नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस नाले के समाप्त बिन्दु से वेटलैण्ड जिसकी क्षमता 2.5 एम0एल0डी0 है, स्थित है जो कि वर्तमान समय में ट्रायल एवं रन की स्थिति मे है। नाले के समाप्त बिन्दु से इसकी दूरी लगभग 368 मीटर है, जिसपर पृथक से नाले निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना तैयार कर शासन को प्रेषित की जा चुकी है और ऐसी आशा है कि अगस्त माह में ही वेटलैण्ड तक अवशेष नाले के निर्माण हेतु शासन से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी तथा धन भी आवंटित हो जायेगा, इसके उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही कर अवशेष नाला का निर्माण कराते हुए वेटलैण्ड से जोड़ दिया जायेगा।

नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ मा0 न्यायाधिकरण के अनुपालन के प्रति पूर्ण रूप से गम्भीर है। यद्यपि पूर्व अनुमानित तिथि के अनुरूप प्रश्नगत् कार्य पूर्ण नही हो सका है तथापि अधोहस्ताक्षरी व्यक्तिगत् रूप से कार्य को पूर्ण करानें के लिए नियमित कार्य समीक्षा कर रहा है और ऐसा विश्वास है कि आगामी नवम्बर, 2024 में प्रश्नगत् नाले का निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा।

अतएव उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली को अवगत करानें का कष्ट करें।

24/08/2024

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय की सेवा में उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ।

24/08/2024

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित Execution Application No. 24/2023 (I.A.No-277/2024) in ओ0ए0 संख्या–44 / 2022 Saket Girls P.G. College Applicant Vs. State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 01–7–2024 के अनुपालन आख्या

अवगत कराना है कि नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में संस्थित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या–44 / 2022 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के समादर में नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ द्वारा साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज से मुख्य मार्ग पर ट्रान्सफर्मर से साकेत डिग्री कालेज होते हुए मुख्य मार्ग पर प्रिमियम पैलेस के सामने तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य एवं गायघाट रोड़ पर प्लाजा पैलेस के सामने से नई बस्ती जानकीपुरम तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य निविदा एवं अनुबन्ध आदि की कार्यवाही करनें के उपरान्त जून, 2024 में ही आरम्भ किया जा चुका है। पूर्व में यह अनुमान था कि उपरोक्त कार्य अगस्त, 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा, जिसकी सूचना मा0 न्यायाधिकरण को प्रेषित की गयी थी, परन्तु इसी मध्य नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ में नियुक्त अधिशासी अधिकारी श्री राम अचल कुरील को शासन द्वारा **दिनांक 29 जून, 2024 (संलग्नक–1)** को निलम्बित कर दिया गया, जिससे निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं व्यवधान के कारण पूर्व अनुमानित समय के अन्दर कार्य पूर्ण नही हो सका। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के निलम्बन के उपरान्त दिनांक 19 जुलाई, 2024 **(संलग्नक–2)** को अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। अधोहस्ताक्षरी नें नगरपालिका के निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान यह पाया कि प्रश्नगत् नाले का निर्माण बाधित है, जबकि यह कार्य मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों से आच्छादित है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित ठेकेदार से वार्ता की गयी तो उसके द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि कार्य स्थल पर भूमि नीचे होने के कारण एवं वर्षा होने से जल भराव हो रहा है, इसलिए कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ **संलग्न–3 है।** फर्म द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कार्य को गति प्रदान करनें का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी ने सम्बन्धित फर्म को कार्य में गति लाने हेतु निर्देशित किया। इसके उपरान्त प्रश्नगत् कार्य 920 मीटर में से 276 मीटर नाले का निर्माण जो कि सम्पूर्ण कार्य का लगभग 30 प्रतिशत है, पूर्ण हो चुका है, सुलभ सन्दर्भ हेतु स्थल का जी0पी0एस0 टैग फोटोग्राफ एवं वर्क कम्प्लीटीशन सर्टिफिकेट प्रमाण–पत्र की प्रति अवलोकनार्थ **संलग्न–4** है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ द्वारा वर्तमान में 920 मीटर नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस नाले के समाप्त बिन्दु से वेटलैण्ड जिसकी क्षमता 2.5 एम0एल0डी0 है, स्थित है जो कि वर्तमान समय में ट्रायल एवं रन की स्थिति मे है। नाले के समाप्त बिन्दु से इसकी दूरी लगभग 368 मीटर है, जिसपर पृथक से नाले निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना तैयार कर शासन को प्रेषित की जा चुकी है और ऐसी आशा है कि अगस्त माह में ही वेटलैण्ड तक अवशेष नाले के निर्माण हेतु शासन से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी तथा धन भी आवंटित हो जायेगा, इसके उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही कर अवशेष नाला का निर्माण कराते हुए वेटलैण्ड से जोड़ दिया जायेगा।

नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़ मा0 न्यायाधिकरण के अनुपालन के प्रति पूर्ण रूप से गम्भीर है। यद्यपि पूर्व अनुमानित तिथि के अनुरूप प्रश्नगत् कार्य पूर्ण नही हो सका है तथापि अधोहस्ताक्षरी व्यक्तिगत् रूप से कार्य को पूर्ण करानें के लिए नियमित कार्य समीक्षा कर रहा है और ऐसा विश्वास है कि आगामी नवम्बर, 2024 में प्रश्नगत् नाले का निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा।

अतएव उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली को अवगत करानें का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी / प्रशासक महोदय की सेवा में उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ।

24/08/2024

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़।

नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0,
सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

संख्या–2/602/125–II/589–अ0अ0नपाप–3/16 लखनऊः दिनांक 29 जून, 2024

कार्यालय–आदेश

नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ में स्थित एस0टी0पी0 (सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट) एवं कन्स्ट्रक्टेड वेटलैण्ड का दिनांक 02.05.2024 को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री राम अचल कुरील, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ उपस्थित नहीं थे और निरीक्षण में पाया गया कि वेटलैण्ड साइट पर ठोस अपशिष्ट को डम्प किया जा रहा है तथा उसमें अग्नि लगी है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स, 2016 एवं स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के दिशा–निर्देशों के सर्वथा विपरीत है। इसप्रकार नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स, 2016 एवं शासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

2– इस संबंध में श्री राम अचल कुरील, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ को निदेशालय के पत्रांक–पी0ए0/437/नि0कैम्प/2024, दिनांक 08.05.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जिसके सम्बन्ध में श्री राम अचल कुरील द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र दिनांक 13–05–2024 द्वारा दिया गया, श्री कुरील का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

3– अतः श्री राम अचल कुरील, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा कार्यालय से अनुपस्थित रहने, वेट लैण्ड साईट पर ठोस अपशिष्ट को डम्प कराये जाने एवं उसमें अग्नि लगी होने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन वैज्ञानिक तरीके से न करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स, 2016 एवं स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने एवं शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम–37(3) एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राम अचल कुरील, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2, नगर पालिका परिषद, बेल्हा (प्रतापगढ़) को एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुये विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है एवं विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु श्रीमती ऋतु सुहास, अपर निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री राम अचल कुरील कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से सम्बद्ध रहेंगें तथा उनके जीवन निर्वाह भत्ते आदि का भुगतान नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4– निलम्बन अवधि में श्री राम अचल कुरील को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 से 4 के मूल नियम–53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि अर्ध औसत वेतन पर अथवा अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हे जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ कोई मंहगाई भत्ते अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उक्त मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

5— उपर्युक्त प्रस्तर–4 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि श्री राम अचल कुरील इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

6— जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि जांच कार्यवाही शासनादेश संख्या–8/2022/725/सैंतालीस/का–1–2022/13(2)/2022, दिनांक 09.07.2021 के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 नितिन बंसल)
निदेशक।

संख्या व दिनांक तदैवः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–4, लखनऊ।

-मेल/पंजीकृत 2— जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को उक्त आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री राम अचल कुरील (निलम्बित) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ को तामील कराकर कि सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4— श्रीमती ऋतु सुहास, अपर निदेशक/जांच अधिकारी, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तद्नुसार आरोप पत्र का गठन करके अनुमोदनोपरान्त जांच कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

5— अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़।

6— श्री राम अचल कुरील (निलम्बित) अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

29/6/22

(डॉ0 नितिन बंसल)
निदेशक।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्याः 2102 /नौ-4-24-01ई0ओ0/2024
लखनऊ दिनांकः 18 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी सेवा के अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 श्री राकेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खतौली जनपद-मुजफ्फरनगर को जनहित में तात्कालिक प्रभाव से नगर पलिका परिषद, बेल्हा (प्रतापगढ) में अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

2- श्री राकेश कुमार को अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्वतः कार्यमुक्त किया जाता है। श्री राकेश कुमार कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शासन/निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, जिसके लिए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-2102 /नौ-4-24-01ई0ओ0/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को तामील कराते हुये शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
4. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, खतौली (मुजफ्फरनगर)/बेल्हा (प्रतापगढ़)।
5. संबंधित अधिशासी अधिकारी।
6. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(मो0 आसिफ) 18.07.24
अनु सचिव।

GSTIN: 09ADOPK2513P1Z2

M/s JASORIA BUILDERS

❖ *Specilist in Road, Bridges, Buildings and Civil Works*

प्राप्त
07.08.24
03:13PM

दिनाँक :- 06.08.2024

सेवा में,

अधिशाषी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, बेल्हा

प्रतापगढ़ |

विषय:- भूमि उपलब्ध करने के सम्बन्ध मे |

संदर्भ :- मुख्य मार्ग पर ट्रांसफार्मर से साकेत डिग्री कॉलेज होते हुए मुख्या मार्ग पर प्रीमियम मैरेज पैलेस के सामने तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य |

महोदय,

अवगत कराना है कि गायघाट मुख्य मार्ग का उपरोक्त संधर्भित कार्य हमारी फ़र्म को आवंटित है| हमारे द्वारा **15 जून 2024** को कार्य प्रारम्भ करने के लिए नाले की मार्किंग करने की कोशिश की गयी परन्तु स्थानीय लोगो द्वारा विरोध किया गया जिसके सम्बन्ध में पूर्व में अधिशाषी अधिकारी महोदय को मौखिक सूचना दी गयी थी और हमारे द्वारा नाले का विभागीय अधिकारी की देख रेख में सीमान्करण कराने का आग्रह किया गया था जिससे कार्य पुनः प्रारंभ किया जा सके |

अतः महोदय आपसे निवेदन है कि हमें अतिशीघ्र उपरोक्त कार्य के लिए भूमि उपलब्ध एवं सीमंकरण कराने का कष्ट करें जिससे कार्य प्रारम्भ किया जा सके एवं समय से पूर्ण किया जा सके |

धन्यवाद,

भवदीय,

जसोरिया बिल्डर्स,

For-JASORIA BUILDERS Prop.

प्रतापगढ़

JE(C)/P.W.C
हेतु आवश्यक
08/08/2024

❖Address: 53/A- Bhadri House, Pratapgarh (U.P.) - 230001
❖Contact : 09919142555, 09415229132, 09415229291
Email: jasoriabuilders@gmail.com

कार्यालय नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़।

संख्याः 111 /न0पा0परि0–2024 दिनांकः 23 :अगस्त, 2024

वर्क कम्प्लीटीशन सर्टिफिकेट प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सेक्टर मद अन्तर्गत निर्माणाधीन नाला मुख्य मार्ग पर ट्रान्सफर्मर से साकेत डिग्री कालेज होते हुए मुख्य मार्ग पर प्रिमियम पैलेस के सामने तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य एवं गायघाट रोड़ पर प्लाजा पैलेस के सामने से नई बस्ती जानकीपुरम तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य की कुल लम्बाई 920 मीटर के सापेक्ष 276 मीटर नाला निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है अर्थात कुल 30 प्रतिशत कार्य स्थल पर पूर्ण कराया जा चुका है। स्थल पर कराये गये कार्य की जी0पी0एस0 टैग फोटोग्राफ संलग्न है।

अवर अभियन्ता (सिविल)
नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद बेल्हा–प्रतापगढ़।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बेल्हा–प्रतापगढ़

Item No. 14 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No. 24/2023
(I.A. No. 277/2024)
In
Original Application No. 44/2022

Saket Girls P.G. College Applicant

Versus

State of Utter Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 01.07.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Ravindra Lokhande, Mr. Harshid Srivastav, Mr. Chirag Jain & Mr. Harshil Gupta, Advocates for Applicant in E.A 24/2023

Respondent: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Mr. Chetan Jadon & Mr. Yash Vardhan Kaushik, Advocates for the State of UP

Mr. Daleep Dhyani, Advocate for UPPCB
Ms. Priyanka Swami, Ms. Simran Sehgal, Mr. Shivam Singh & Mr. Souresh Nagan, Advocates for EO, Bella Pratapgarh, UP

ORDER

1. In this execution application, the issue of water logging and incomplete open drain in front of the Applicant college which is causing health hazard to the students is involved.

2. In pursuance to the previous direction of the Tribunal, action taken plan with affidavit on behalf of the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Bela Pratap Garh and the report of the UPPCB have been filed.

3. The Applicant has filed the response to the reports dated 29.06.2024 on 01.07.2024. He is directed to supply a copy thereof to

Counsel for all the other concerned parties within one week. It will be open to the Counsel for other parties to file their response to the same and also to I.A. No. 277/2024 within one week thereafter.

4. The Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Bela Pratap Garh is directed to remain virtually present before the Tribunal on the next date of hearing.

5. List on 28.08.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 01, 2024
Execution Application No. 24/2023
In
Original Application No. 44/2022
A